

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस-नोट

दिनांक:- 12.01.2018

☞ 01 वारन्टी गिरफ्तार –

थाना मण्डरायल – दिनांक 11.1.2018 को पृथ्वीसिंह सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा न्यायालय श्रीमान सीजेजेडीजेएम करौली के कोर्ट केस नं0 205/11 की पालना में वारंटी 1. मोनू पुत्र राजू जाति जाटव निवासी लांगरा थाना लांगरा को बस स्टेण्ड मण्डरायल से गिरफ्तार किया गया।

☞ शराब पीकर वाहन चलाने पर 01 व्यक्ति गिरफ्तार –

थाना हिण्डौनसिटी – दिनांक 11.1.2018 को हरवीरसिंह हैडकानि. 18 के द्वारा दौराने गस्त चौपड सर्किल पर शराब पीकर वाहन चलाने पर आरोपी 1. राजवीर पुत्र हरीसिंह जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा थाना सदर करौली को धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफ्तार कर वाहन को 207 एमवी एक्ट में जप्त किया गया।

☞ शांति भंग करने पर 03 व्यक्ति गिरफ्तार –

थाना कोतवाली करौली– दिनांक 11.1.2018 को हरकेश हैडकानि0 86 के द्वारा तीनबड के पास करौली में गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. अजेश उर्फ कल्ला पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी कल्याणी थाना सदर करौली को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना हिण्डौनसिटी– दिनांक 11.1.2018 को महेन्द्रसिंह हैडकानि0 41 के द्वारा चौपड सर्किल के पास हिण्डौनसिटी में गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. बबलू पुत्र गोविन्द जाति गुर्जर निवासी चिकरू थाना बयाना जिला भरतपुर को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना सपोटरा– दिनांक 12.1.2018 को हरवीरसिंह हैडकानि0 57 के द्वारा रानेटा मोड के पास में गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. जनकराज पुत्र प्रकाश जाति मीना निवासी खिरखिडा थाना सपोटरा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।